(359)

3612
23/09/2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के अपीलीय अनुदान हेतु झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 की धारा–06 के आलोक में यथा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 की धारा–06 के आलोक में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में अपील आवेदनों पर विचार करने हेतु यथा प्रावधनित अनुदान समिति की बैठक दिनांक 02.09.2025 को पूर्वाह्न 12:00 बजे आहूत की गई।

2. उपस्थिति :–संलग्नक के अनुसार।

3. सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त/राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का कुल 88 प्राप्त आवेदन, इंटर महाविद्यालयों का कुल 42 प्राप्त आवेदन, प्रस्वीकृति प्राप्त संस्कृत विद्यालय का कुल 04 प्राप्त आवेदन एवं प्रस्वीकृति प्राप्त मदरसों के कुल 06 प्राप्त आवेदन अर्थात् कुल 140 अपील आवेदनों के संबंध में स्क्रीनिंग समिति द्वारा समर्पित अनुशंसा प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा विभागीय अनुदान समिति के द्वारा की गई।

4. ऐसे वित्त रहित शिक्षण संस्थान, जिनका आवेदन शासी निकाय अद्यतन/पुर्नगठन नहीं रहने के कारण अस्वीकृत की गई एवं स्क्रीनिंग समिति द्वारा भी अस्वीकृत की गई, पर विभागीय अनुदान समिति द्वारा समेकित रूप से बैठक की तिथि तक प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन को स्वीकृत करते हुए उनके अपील आवेदन पर स्वीकृति प्रदान की गई।

5 समिति द्वारा समीक्षोपरान्त माध्यमिक विद्यालयों के कुल 88 प्राप्त आवेदनों में से कुल 54 माध्यमिक विद्यालय यथा संलग्न **सूची के क्रमांक**–3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 19, 21, 22, 27, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87 एवं 88 अनुदान हेतु योग्य पाये गये। शेष 31 मामले को विभिन्न कारणों यथा; परिवाद/आरोप की जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने/आरोप प्रमाणित होने, विद्यालय की स्थापना अनुमति प्राप्त/स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त/प्रस्वीकृति प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय (वित्त रहित संस्थान) के रूप में मान्यता रहने के

358

फलस्वरूप शासी निकाय का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने, विद्यालय की कोटि (A=General, B=SC/ST/Girls/Population lower than 20,000) नियमावली के अनुरूप वर्गकक्ष/छात्र संख्या की अनुमान्यता से संबंधित विरोधाभाष, विद्यालय का स्थापना अनुमति का विस्तारण संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने, वर्गकक्ष से संबंधित जांच प्रतिवेदन अप्राप्त/विरोधाभाष रहने एवं अनुदान हेतु पूर्व में भेजी गई अनुशंसा एवं अपील हेतु जांच प्रतिवेदन के द्वारा भेजी गई अनुशंसा में विरोधाभाष रहने के कारण अस्वीकृत किये गये तथा 03 मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत किये गये प्रस्ताव में **सूची के क्रमांक**–80 एवं 84 में अंकित उच्च विद्यालय के परिवाद/आरोप प्रमाणित होने के कारण, **सूची के क्रमांक**–1, 32, 34 एवं 48 में अंकित विद्यालय की स्थापना अनुमति प्राप्त/स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त/प्रस्वीकृति प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय (वित्त रहित संस्थान) के रूप में मान्यता रहने के फलस्वरूप शासी निकाय का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने, **सूची के क्रमांक**–2 एवं 9 में विद्यालय की कोटि (A=General, B=SC/ST/Girls/Population lower than 20,000) नियमावली के अनुरूप वर्गकक्ष/छात्र संख्या की अनुमान्यता से संबंधित विरोधाभाष, **सूची के क्रमांक**–7, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 56, 64, 65 एवं 69 में विद्यालय का स्थापना अनुमति का विस्तारण संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने, **सूची के क्रमांक**–37, 59 एवं 60 में वर्गकक्ष से संबंधित विरोधाभाष तथा **सूची के क्रमांक**–70 में वर्गकक्ष से संबंधित जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया।

सूची के क्रमांक–31 एवं 46 में परिवाद पत्र प्राप्त होने एवं जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण तथा **सूची के क्रमांक**–63 में अंकित विद्यालय का वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुदान स्वीकृति के निमित्त भेजी गई अनुशंसा एवं अपील हेतु जांच प्रतिवेदन के द्वारा भेजी गई अनुशंसा में विरोधाभाष रहने के कारण अपील आवेदन को तत्काल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

6. समिति द्वारा समीक्षोपरान्त 'इंटर महाविद्यालयों के कुल 42 प्राप्त आवेदनों में से कुल 20 इंटर महाविद्यालय यथा संलग्न **सूची के क्रमांक**–1, 2, 3, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 38, 39 एवं 42 अनुदान हेतु योग्य पाये गये। शेष 18 मामले को विभिन्न कारणों यथा; परिवाद/आरोप की जांच प्रतिवेदन के

अनुसार आरोप प्रमाणित होने, सीट वृद्धि से संबंधित मामले, वर्गकक्ष/छात्र संख्या मानक के अनुरूप कम रहने, प्रस्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत प्रथम वर्ष में अनुदान हेतु आवेदित मामले, महाविद्यालय की कोटि (A=General, B=SC/ST/Girls/Population lower than 20,000) के अनुरूप अनुदान की राशि में विभिन्नता संबंधी मामले, भूमि संबंधी विवाद, शासी निकाय से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण अस्वीकृत किया गया एवं 04 मामले को तत्काल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत किये गये प्रस्ताव में **सूची के क्रमांक**–31 एवं 34 में अंकित इंटर महाविद्यालय का प्राप्त परिवाद/आरोप की जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोप प्रमाणित होने, **सूची के क्रमांक**–5, 6, 9, 11, 12, 14, 25, 36 एवं 40 में अंकित इंटर महाविद्यालय की सीट वृद्धि से संबंधित मामले, **सूची के क्रमांक**–13 में अंकित इंटर महाविद्यालय का प्रस्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत प्रथम वर्ष में अनुदान हेतु आवेदित मामले, **सूची के क्रमांक**–18, 24 एवं 29 में अंकित इंटर महाविद्यालय की कोटि (A=General, B=SC/ST/Girls/Population lower than 20,000) के अनुरूप अनुदान की राशि में विभिन्नता संबंधी मामले, **सूची के क्रमांक**–32 एवं 33 में अंकित इंटर महाविद्यालय का भूमि संबंधी विवाद एवं **सूची के क्रमांक**–35 में अंकित इंटर महाविद्यालय का शासी निकाय से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने रहने के कारण अस्वीकृत की गई है।

सूची के क्रमांक–4, 23 एवं 37 में अंकित इंटर महाविद्यालय का परिवाद पत्र के संबंध में जांच प्रतिवेदन अप्राप्त होने एवं **सूची के क्रमांक**–41 में अंकित इंटर महाविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होने के फलस्वरूप अनुदान नियमावली द्वारा अनुदान लिये जाने के कारण संचिका के माध्यम से प्रस्ताव उपस्थापित कर निर्णय होने तक अपील आवेदन को तत्काल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

7. संस्कृत विद्यालय के कुल प्राप्त 4 मामले, जिसमें **सूची के क्रमांक**–2, 3 एवं 4 अनुदान हेतु योग्य पाये गये तथा **सूची के क्रमांक**–01 पर अवस्थित संस्कृत विद्यालय का उपायुक्त, पलामू से जांच प्रतिवेदन, जो गैर शिक्षा सेवा के पदाधिकारी द्वारा जांच किया गया हो, से प्राप्त करने तथा उक्त अपील आवेदन को तत्काल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

8. मदरसों के कुल 06 मामले, जिसमें **सूची के क्रमांक**–1, 2, 4 एवं 6 अनुदान हेतु योग्य पाये गये तथा **सूची के क्रमांक** –3 एवं 5 के संबंध में उपायुक्त,

3612
23/07/2025

(356)

रांची से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने, जो गैर शिक्षा सेवा के पदाधिकारी द्वारा जांच किया गया हो। सम्प्रति उक्त अपील आवेदन को तत्काल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

9. माध्यमिक विद्यालयों के **सूची के क्रमांक**–1, 32 एवं 34 में अंकित विद्यालय की स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृति प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय (वित्त रहित संस्थान) के रूप में मान्यता रहने के फलस्वरूप शासी निकाय का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के कारण अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया तथा समीक्षोपरान्त विभागीय अनुदान समिति द्वारा संचिका के माध्यम से मामले पर निर्णय हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्णय लिया गया है एवं **सूची के क्रमांक**–63 के संबंध में उपायुक्त, रांची से जांच प्रतिवेदन, जो गैर शिक्षा सेवा के पदाधिकारी द्वारा जांच किया गया हो, से प्राप्त करने तथा तब तक अपील आवेदन को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

10. इंटर महाविद्यालयों के **सूची के क्रमांक**–41 में अंकित श्यामा प्रसाद इंटर कॉलेज, खासमहल, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम को सेकेन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1351 दिनांक–25.10.2000 के द्वारा भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित अल्पसंख्यक महाविद्यालय घोषित किया गया है तथा यह संस्थान झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 के तहत अनुदान लेने का दावा किये जाने के कारण विभागीय अनुदान समिति द्वारा समीक्षोपरान्त संचिका के माध्यम से मामले पर निर्णय हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने एवं निर्णय लिये जाने तक अपील आवेदन को तत्काल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। **सूची के क्रमांक**–5, 6, 9, 11, 12, 14, 25, 36 एवं 40 में अंकित इंटर महाविद्यालय की सीट वृद्धि से संबंधित मामले में विभागीय अनुदान समिति के द्वारा निदेशालयीय पत्रांक–2021 दिनांक–28.07.2024 के आलोक में अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

11. बैठक की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि संस्थान के प्रबंध समिति, झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची तथा संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के मंतव्य/अनुशंसा में विरोधाभाष पाया जाता है। उक्त के क्रम में निर्णय लिया गया कि यदि वित्त रहित संस्थानों द्वारा संसूचित एवं झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची तथा

संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित किसी भी प्रकार के तथ्य/आंकड़ों में जांच के क्रम में किसी प्रकार का अन्तर परिलक्षित होता है तो इसके लिए संबंधित संस्थान की प्रस्वीकृति रद्दगी के संबंध में कार्रवाई तथा झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। भविष्य मे भी ऐसी पुनरावृत्ति संबंधित द्वारा नहीं की जायेगी अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा एक माध्यमिक विद्यालय, प्रस्तावित उच्च विद्यालय, महुलडीहा, पश्चिमी सिंहभूम का वर्गकक्ष की अनुमान्यता से संबंधित जांच प्रतिवेदन सम्प्रति उपलब्ध नहीं कराने के कारण उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

09/09/2006

(राजेश बाखला)
वित्त विभाग झारखण्ड, रांची
के प्रतिनिधि।

(राजेश प्रसाद)
निदेशक, मा0शि0,
झारखंड, राँची।

(उमा शंकर सिंह)
सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
विभाग, झारखण्ड, रांची।

3612
23/09/2006